



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 222-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022 (AGRAHAYANA 29, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th December, 2022

No. 27-HLA of 2022/86/23669.— The Haryana Small Towns (Tax-Validating) Repeal Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 27- HLA of 2022

THE HARYANA SMALL TOWNS (TAX-VALIDATING) REPEAL BILL, 2022

A

BILL

to repeal the Haryana Small Towns (Tax-Validating) Act, 1934.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Small Towns (Tax-Validating) Repeal Act, 2022.
2. The Haryana Small Towns (Tax-Validating) Act, 1934, is hereby repealed.

Short title.

Repeal of Punjab Act III of 1934.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Haryana Statute Review Committee was constituted by the State Government under the Chairpersonship of Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) to identify such laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need to be changed or repealed. Accordingly the Committee had recommended to repeal the Haryana Small Towns (Tax-Validating) Act, 1934 related to Urban Local Bodies Department, having lost its relevance.
2. Property Tax as well as other applicable taxes are being levied and collected as per the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. As such the Haryana Small Towns (Tax-Validating) Act, 1934 has no force and value to deal with the provision of present scenario of Taxation Validations in the municipalities.
3. Hence, it is necessary to repeal the Haryana Small Towns (Tax-Validating) Act, 1934 by way of enacting the Haryana Small Towns (Tax-Validating) Repeal Bill, 2022.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th December, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 27-एच.एल.ए.

हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022

हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934

को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

1934 के पंजाब अधिनियम III का निरसन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा श्री न्यायमूर्ति इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हरियाणा संविधि समीक्षा का गठन ऐसे कानूनों की पहचान करने के लिए किया गया था जो आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं तथा जिन्हें बदलने अथवा निरस्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार समिति ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सम्बन्धित हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934, जोकि अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, को निरस्त करने की सिफारिश की है।
2. सम्पत्ति कर के साथ ही अन्य लागू करों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया एवं संगृहीत किया जा रहा है। इस प्रकार नगरपालिकाओं में कर विधिमान्यकरण के वर्तमान परिदृश्य के प्रावधान से निपटने के लिए हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 में कोई बल तथा महत्व नहीं है।
3. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 को हरियाणा लघु नगर (कर-विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022 के द्वारा निरस्त किया जाये।

डॉ कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,
सचिव।